

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD, DELHI
[Building Division]

F. No: 4-1(9)/Bldg./Tel./2017 /2036

Dated: 01.05.2017

CIRCULAR

CPCB is reimbursing Mobile phone bills to the officials who are involved in field activities/essential services up to a maximum of Rs. 300/- per month (inclusive of taxes) with effect from February, 2008, irrespective of designation. This reimbursement was aimed to facilitate the field officials to be remained in contact with their coordinators/office and have better communications while on tour.

Keeping in view changes made in the work profile of the officials time to time, changes in the Telephone policy, new recruitments etc., the Telephone facility providing to the officials at present are required to be reviewed. Therefore, all the Divisional Head at HO and Regional Directorates (RDs) are hereby requested to forward the fresh list of the officials, those are involved in field activities/essential services to this office by May 12, 2017 along with the justification.


(D. Saha)

Sc. 'E' & Divisional Head, Bldg.

Copy To:-

1. All Divisional Heads at CPCB, HO and RDs (through website)
2. In-charge, F&A, Delhi - for information
3. In-charge, IT Division - with a request to kindly upload on CPCB Employee corner (Intra Portal)
4. PS to MS - for kind information of Member Secretary, CPCB, please



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

परिवेश भवन, दिल्ली-110032

(भवन प्रभाग)

सं.सी-4-1(9)/भवन/टेली./2017 /2036

दिनांक: 01.05.2017

परिपत्र

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फरवरी, 2008 से क्षेत्रीय गतिविधियों/आवश्यक सेवाओं में लगे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना पदनाम से संबद्ध किये अधिकतम 300/-रूपये प्रतिमाह (कर सहित) के मोबाइल फोन बिलों की प्रतिपूर्ति कर रहा है। इस प्रतिपूर्ति का उद्देश्य क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने समन्वयकों/कार्यालय के साथ सम्पर्क बनाये रखने की सुविधा देना है और दौरे के दौरान अच्छा सम्प्रेषण स्थापित करना है।

समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य विवरणिका, टेलीफोन नीति में बदलाव, नई भर्तियों आदि में बदलाव को देखते हुए, वर्तमान में अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध टेलीफोन सुविधा का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है। अंततः मुख्यालय और क्षेत्रीय निदेशालयों के सभी प्रभाग प्रमुखों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे क्षेत्रीय गतिविधियों/आवश्यक सेवाओं में लगे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की एक नई सूची तैयार करें और उसका औचित्य बताते हुए इस कार्यालय को दिनांक 12.05.2017 तक अग्रेषित करें।

(डी.साहा)

वैज्ञानिक 'ई' प्रभारी, भवन प्रभाग

प्रतिलिपि:

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, और क्षेत्रीय निदेशालयों के प्रभाग प्रमुख (वेबसाइट के माध्यम से)
2. प्रभारी, लेखा अनुभाग, दिल्ली - जानकारी हेतु।
3. प्रभारी, आई.टी. प्रभाग - कृपया इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी कॉर्न (इंट्रा पोर्टल) पर अपलोड करें।
4. सदस्य सचिव के निजी सचिव - सदस्य सचिव महोदय, केन्द्रीय बोर्ड के सूचनार्थ